रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 1971/माघ 8, 1892

No. 81] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 1971/MAGHA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January 1971

S.O. 573.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its Notification No. 56/71-II, dated the 25th January, 1971, published in the extraordinary issue of the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 27th January, 1971, namely:—

In Table 3, against the entry "9. Maharashtra" for the entries "(11) Haldhar and (12) Swastik within a circle" the entries "(11) Haldhar, (12) Swastik within a circle and (13) Two swords and a shield" shall be substituted.

[No. 56/71-III.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1971

एस० ओ० 573.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3(ii) में तारीख 27 जनवरी, 1971, को प्रकाशित अपनी अधिसूचना संख्या 56/71-II, तारीख 25 जनवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्—

सारणी 3 में "9 महाराष्ट्र" प्रविष्टि के सामने "(11) हलधर तथा (12) वृत के भीतर स्वस्तिक" प्रविष्टियों के स्थान पर "(11) हलधर, (12) वृत के भीतर स्वस्तिक और (13) दो तलवार और एक ढाल" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 56/71-III.]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971